(90)

निगरानी 1215-PBR-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक— /2015/पी.बी.आर./निगरानी माल

1. देवशरण पुत्र स्व. श्री नंदकुमार पण्डा, आयु—60 साल, व्यवसाय काश्तकारी,
2. श्रीमती शांति पत्नी स्व. श्री हरीशंकर पण्डा, आयु 62 वर्ष, व्यवसाय—गृहकार्य,
3. हेमंत आयु 40 वर्ष,
4. मनोज आयु 32 वर्ष, पुत्रगण स्व. श्री हरीशंकर पण्डा, व्यवसाय—दुकानदारी,

निवासीगण—पिछोर, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

———आवेदकगण

जितेन्द्र स्वामी, अभिभाषक द्वारा दिनांक 28-5-15 को प्रस्तुत।
28.5.15
S.O

बनाम

1. शकील खां उर्फ सलीम पुत्र स्व. श्री मुस्तफा खां, आयु 52 साल, व्यवसाय—काश्तकारी, निवासी— वार्ड क्रमांक 13, पिछोर, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर **——अनावेदक**

28/ /15

2. सुरेश कुमार पण्डा पुत्र स्व. श्री नंदकुमार पण्डा, आयु—48साल, व्यवसाय काश्तकारी, निवासी— वार्ड क्रमांक 13, पिछोर, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर **———तरतीवी पक्षकार**

<u>निगरानी विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी डबरा, जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 103/2011—12/अपील माल अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959</u>

श्रीमान् महोदय,

आवेदकगण की निगरानी श्रीमान जी की सेवा में निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

निगरानी के तथ्य—

1. यह कि आवेदकगण के शामिल स्वत्व की कृषि आराजी के बाबत अधीनस्थ

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1215-पीबीआर/15 (देवकरण आदि / [illegible] आदि) जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र पर प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया । आवेदकगण की ओर से जितेन्द्र स्वामी अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण वापिस लिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदकगण द्वारा प्रकरण वापिस लिये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जाये । अध्यक्ष	